संख्या-41/2023/बी-2/ 761/दस-2023-10/77 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 12 दिसम्बर, 2023

विषय:-योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 में निर्धारित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित प्रस्तर-7 के परन्तुक के रूप में निम्नवत् व्यवस्था सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

"विधिक कर (यथा वैट, जी0एस0टी0 आदि) की दरों में परिवर्तन होने के कारण परियोजना की लागत में परिवर्तन होने की स्थिति में योजना के पुनरीक्षित व्यय के प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन पर्याप्त होगा।"

3- उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उसकी शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-41/2023/बी-2- 761(1)/दस-2023, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।